प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला–जयपुर, थाना–प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2022 प्र0इ0रि0 सं. 435/2022 दिनांक 5/11/2022
2. (I) अधिनियम...धारा 7 पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018
   (II)*अधिनियम .... धारायें
   (III)* अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 90 ..... समय 1:30PM.

(ब) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 04.11.2022 समय 5.40पी.एम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित
5. घटनास्थल :– प्लाट नम्बर 63 हनुमान नगर बगराना कानोता जयपुर के सामने
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–बजानिब पूर्व करीब 13 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....
6. (1)परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम–श्री पदमचन्द
   (ब) पिता/पति का नाम–श्री मानसिंह कोली
   (स) जन्म तिथी–उम्र–40 साल
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय –
   (ल) पता–निवासी कोली का मोहल्ला लीली थाना लक्ष्मणगढ अलवर हाल प्लाट नम्बर 63 हनुमान नगर बगराना थाना कानोता जयपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1. श्री अरूण कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द, जाति ब्राह्मण, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम पालनपुर, तहसील व पुलिस थाना हिडौनसिटी, जिला करौली हाल किरायेदार मकान नम्बर 137 सूर्यनगर विजयपुरा पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर हाल टेक्निकल हैल्पर, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानोता जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–4500/– रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 02.11.2022 को समय 4 पी.एम. पर श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक भंवर सिंह को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री पदमचन्द है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने का पृष्ठांकन करते हुये प्रार्थना पत्र मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री पदमचन्द के मेरे कक्ष में आया तथा श्री पदमचन्द से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री पदमचन्द कोली पुत्र श्री मानसिंह कोली निवासी कोली का मोहल्ला लीली थाना लक्ष्मणगढ अलवर हाल प्लाट नम्बर 63 हनुमान नगर बगराना थाना कानोता जयपुर होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री पदमचन्द द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिसमें परिवादी ने अंकित किया है कि सेवामें, श्रीमान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर दितीय विषयः– रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं पदमचन्द पुत्र श्री मान सिंह ने एक प्लाट नम्बर 63 हनुमानगर बगराना जयपुर मे मकान का निर्माण कराया है मैने मेरे मकान मे विधुत कनेक्शन लेने के लिये कानोता बिजली घर मे नियमानुसार रूपये जमा करवा दिये आज तक कनेक्शन नही हुवा मेरे मकान की छत के पास से एबीसी लाईन जा रही है जो कटी हुई व खराब हो गई है। जिसको बदलवाने के लिये सहायक अभियन्ता कानोता को एक प्राथना पत्र दिया था जिस पर अरून लाईनमेन जांच हेतू आज दिनांक 2/11/2022 को मेरे घर पे आया और कहा कि मुझे 6000/– रूपये रिश्वत के देने पडेगे तब में कैबिल चैन्ज करूगा एवं कनेक्सन देकर मिटर लगाउंगा मै अरून को रिश्वत के रूपये नही देना चाहता में उसको रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हू रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करे। प्रार्थी पदम चन्द S/O श्री मानसिंह नि. लीली थाना. लक्ष्मणगढ अलवर 9667314422। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि यह प्रार्थना–पत्र मेरे स्वयं द्वारा लिखा गया है। मेरे मकान पर विद्युत कनेक्शन के लिए मैने कार्यालय सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग कानोता जयपुर पर आवेदन कर रखा है ओर मीटर लगाने के पैसे जमा करवाने के बाद भी अब तक कनेक्शन नही हुआ है और मेरे मकान की छत के पास से एबीसी लाईन जा रही है जिसमें काफी कट लगे हुये है जिसको बदलवाने के लिए मैने सहायक अभियन्ता कानोता के यहां आवेदन करने पर अरूण लाईनमैन आज दिनांक 02.11.2022 को मेरे पास आया और मेरे घर का विद्युत कनेक्शन करके मीटर लगाने और एबीसी लाईन का फाल्ट ठीक करने के लिए 6000 रूपये मेरे से रिश्वत के मांगे। मैने कहा कि एईएन साहब ने मेरी एप्लीकेशन पर मार्क कर रखा है रूपये किस बात के तो अरूण लाईनमैन ने कहा इस एप्लीकेशन और मार्क का मुझे कोई मतलब नही है आप 6000 रूपये दोगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। परिवादी पदमचंद ने स्वयं के मकान का विद्युत कनेक्शन कराने के लिए सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानोता, जयपुर में स्वयं द्वारा जमा कराई गई राशि की रसीद की फोटो प्रति प्रस्तुत की एवं बताया कि मैं श्री अरूण लाईनमैन को रिश्वत नही देना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजीद दरियाफ्त पर बतायेनुसार मामला प्रथम दृष्टया लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत लेन देन से पूर्व रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः मांग सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ में परिवादी श्री पदमचन्द को समझाईस कर कार्यालय में उपस्थित कानि. श्री अशोक कुमार 434 को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी श्री पदमचन्द एवं श्री अशोक कुमार कानि. 434 का आपस में परिचय करवाया गया एवं कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड निकालकर परिवादी को चालू व बंद करने की विधि समझाई गई इसके पश्चात् डिजिटल वॉयस में नया मेमोरी कार्ड लगाकर रिकॉर्डर एवं मेमोरी कार्ड का खाली होना सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात् परिवादी श्री पदमचन्द ने कहा कि अरूण लाईनमैन मेरे पास 6000 रूपये की रिश्वत मांगने कल परसो में आयेगा तब मैं आपको बता दूंगा। इस पर परिवादी पदमचन्द को हिदायत की गई की जब आपके काम के संदर्भ में अरूण लाईनमैन से सम्पर्क हो तो अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराये। परिवादी को रूखसत किया।इसके बाद दिनांक 03.11.2022 को समय 2:23 पी.एम. पर परिवादी श्री पदमचंद ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आज अरूण लाईनमैन मेरे पास आयेगा और मेरे से रिश्वत की मांग करेगा इसलिए आप सत्यापन वार्ता हेतु मेरे पास बगराना आपके कार्यालय के कर्मचारी को भिजवा दें। समय 2:30 पी.एम. पर श्री अशोक कुमार कानि. 434 को तलब कर स्वयं की अलमारी से एस.डी. कार्ड लगा हुआ डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर सुपुर्द किया एवं अशोक कानि. को पूर्व से परिचित परिवादी पदमचंद के पास बगराना पहुंच कर अग्रिम सत्यापन कार्यवाही करने हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया। समय 4:00 पी.एम. पर रवानाशुदा श्री अशोक कुमार कानि. 434 मय वॉईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय आया व मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि कार्यालय से रवाना होकर परिवादी पदमचंद के पास बगराना पहुंचा जहां पर परिवादी ने एसओ अरूण कुमार से जरिये मोबाईल वार्ता की तो अरूण कुमार ने कल दिनांक 04.11.2022 को प्रातः 10–11 बजे तक परिवादी के पास आने की बात कही, इस कारण सत्यापन वार्ता नहीं पाई। अशोक कानि. द्वारा सुपुर्द किया गया डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 04.11.2022 को समय 10:00 ए.एम. पर श्री अशोक कुमार कानि. 434 को तलब कर स्वयं की अलमारी से एस.डी. कार्ड लगा हुआ डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर सुपुर्द किया एवं अशोक कानि. को परिवादी पदमचंद के पास बगराना पहुंच कर अग्रिम सत्यापन कार्यवाही करने हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया एवं

अग्रिम कार्यवाही हेतु युनिट में गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रघुवीर खींची पुत्र श्री रामलाल खींची जाति खटीक उम्र 39 वर्ष निवासी 178 मण्डी खटीकान चार दरवाजा बाहर थाना रामगंज जयपुर हाल फायरमैन अग्निशमन केन्द्र घाटगेट नगर निगम हैरीटेज जयपुर, मो.न. 9928676905 व श्री जितेन्द्र सोलंकी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी जाति जाट उम्र 29 साल निवासी महु थाना हिण्डौन सीटी जिला करौली हाल फायरमैन अग्निशमन केन्द्र घाटगेट नगर निगम हैरीटेज जयपुर, मो.न. 7976071290 उपस्थित कार्यालय आये। समय 11:50 ए.एम. पर अशोक कुमार कानि. 434 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी पदमचंद के पास समय 10:35 ए.एम. पर उसके घर पर पहुंचा, जहां पर परिवादी पदमचंद की अरूण लाईनमैन से मोबाईल पर वार्ता हुई तो अरूण कुमार ने कहा कि मैं पांच मिनिट में आपके पास आ रहा हूं। इस पर मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर आन कर परिवादी पदमचंद को दिया व एस.ओ. अरूण कुमार से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने की हिदायत परिवादी को की तथा मन कानि. आस पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुआ। करीब चार–पांच मिनिट बाद एक व्यक्ति करीब 30–32 साल का परिवादी पदमचंद के पास आया जिससे पदमचंद की वार्ता हुई तथा वह व्यक्ति वापस वहां से चला गया। इसके उपरांत परिवादी पदमचंद मेरे पास आया जिससे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तो परिवादी पदमचंद ने बताया कि यह व्यक्ति अरूण कुमार लाईनमैन था, जिसने मेरे पास आकर मेरे घर का विद्युत कनेक्शन कर मीटर लगाने और लाईन के कट पर फाल्ट दूर कर टेप लगाने के लिए पांच हजार रूपये की रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा बात करने पर 4500 रूपये रिश्वत प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ और मेरे को अरूण कुमार ने कहा कि आप पैसे और टेप ले आओ तो मेरे को फोन कर देना तथा परिवादी ने यह भी बताया कि अरूण कुमार को मैंने डेढ़ दो घंटे में रिश्वत के पैसे और टेप लेकर आने की बात कही है। परिवादी पदमचंद ने बताया कि यह सभी वार्ताएं आपके द्वारा दिये गये डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अशोक कुमार कानि. को अग्रिम कार्यवाही हेतु मय परिवादी व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के कार्यालय आने की हिदायत की। श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर तृतीय को गोपनीय कार्यवाही हेतु तलब किया गया। समय 12:25 पी.एम. पर अशोक कुमार कानि. मय परिवादी पदमचंद के उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बंद हालत में मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। आमदा परिवादी पदमचंद ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को अशोक कुमार कानि. द्वारा समय 11:50 ए.एम. पर जरिये मोबाईल बताये गये तथ्यों की ताईद की।इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अशोक कुमार कानि. 434 द्वारा सुपुर्द वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना तो परिवादी पदमचंद व अशोक कुमार द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री रघुवीर खींची हाल फायरमैन अग्निशमन केन्द्र घाटगेट नगर निगम हैरीटेज जयपुर व श्री जितेन्द्र सोलंकी हाल फायरमैन अग्निशमन केन्द्र घाटगेट नगर निगम हैरीटेज जयपुर को कार्यालय कक्ष में तलब किया तथा परिवादी पदमचंद का स्वतंत्र गवाहान से परिचय कराकर पदमचंद द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट का अवलोकन कराकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल होने की सहमति प्राप्त कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर कराये तथा गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज सत्यापन वार्ता को पुनः सुनाया गया, जिसमें उपस्थित परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध कर्मचारी अरूण लाईनमैन की होने की पहचान की। अब तक के संपूर्ण तथ्यों से अरूण लाईनमैन विद्युत विभाग कानोता द्वारा बतौर लोकसेवक, परिवादी पदमचंद से उसके निर्माणाधीन मकान पर विद्युत कनेक्शन का मीटर लगाकर कनेक्शन करने व मकान के सामने की विद्युत लाईन का फाल्ट ठीक कर टेप लगाने के लिए परिवादी से 4500 रूपये रिश्वत मांग करने के तथ्य पाये गये हैं व संदिग्ध कर्मचारी अरूण लाईनमैन द्वारा आज ही डेढ़ दो घंटे के पश्चात रिश्वत लेन देन का समय निर्धारित किया गया है। अतः डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज सत्यापन वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से तैयार करने का निर्णय लिया जाकर वॉईस रिकॉर्डर को स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। समय 12:45 पी.एम. पर मौतबीरान के समक्ष मन्पुलिस निरीक्षक ने परिवादीश्री पदमचन्द कोली को संदिग्ध आरोपी श्री अरूण लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री पदमचन्द ने अपने पास से 500–500रूपये के 9 नोट कुल 4500/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर को पेश किये। नोटों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर, नोटों के नम्बर मन पुलिस निरीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये तो नोटों के नम्बर सही पाये गये। श्री

प्रतीक कुमार मील, कनिष्ठ सहायक भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौरूपये के 9 नोट कुल 4500/– रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री प्रतीक कुमार मील से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री पदमचन्द की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रघुवीर खींची से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री पदमचन्द की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक से रखवाया गया। श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था। उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी पदमचन्द एवं स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। तत्पश्चात परिवादी पदमचन्द को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मो0 नं0 9772201651 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया, श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों व गिलास को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबोक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी श्री पदमचन्द को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री पदमचन्द को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी तथा श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे ही छोड़ा गया।इसके बाद समय 1:30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक भंवरसिंह मय श्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, अशोक कुमार कानि. 99, राजेन्द्र सिंह कानि. 55, सफी मोहम्मद कानि.173, कुमार सानू कानि. 138, अशोक कुमार कानि. 434, वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री रघुवीर खींची स्वतंत्र गवाह, जीतेन्द्र सिंह स्वतंत्र गवाह, पदमचंद परिवादी, भूराराम कानि. चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटाप, प्रिंटर के वाहन सरकारी व प्राईवेट वाहन के अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 1:55 पी.एम. पर आगरा रोड, कानोता 52 फिट हनुमान जी मंदिर के पास पहुंचकर परिवादी पदमचंद के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी अरूण कुमार के मोबाईल पर वार्ता करवाई तो अरूण कुमार ने बताया कि मैं चार–पांच बजे तक आपके पास आउंगा। अतः मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के आरोपी अरूण के आने के इन्तजार में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए आस–पास मुकीम हुए। समय 4:33 पी.एम. पर परिवादी पदमचंद से संदिग्ध आरोपी अरूण के मोबाईल पर वार्ता करवाई तो अरूण कुमार ने एक डेढ़ घंटे में परिवादी के पास आने की बात कही। अतः मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के आरोपी अरूण के आने के इन्तजार में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए आस–पास मुकीम हुए। समय 5:25 पी.एम. पर परिवादी पदमचंद के मोबाईल पर अरूण कुमार का कॉल आया तो अरूण कुमार ने कहा कि मैं आपके घर पर दस पन्द्रह मिनिट में पहुंच रहा हूं इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर परिवादी पदमचंद के निर्माणाधीन मकान प्लाट नम्बर 63 हनुमान नगर बगराना कानोता जयपुर के पास पहुंचा व परिवादी पदमचंद को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रकिया

अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री अरूण कुमार केबांये हाथ की अगुंलियों व अगुंठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफशीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादीश्री पदमचन्द तथा आरोपी श्री अरूण कुमारके हस्ताक्षर करवाये गये।इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री रघुवीर खींची से आरोपी श्री अरूण कुमारके पेन्ट की तलाशी लिवायी गई तो आरोपी की आरोपी पेन्ट की बांयी जेब से पांच–पांच सौ रूपये की एक छोटी गड्डी मिली गड्डी को स्वतंत्र गवाह द्वारा गिना गया तो पांच–पांच सौ रूपये के 9 नोट कुल 4500/– रूपये होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 9नोटो के नम्बर कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 9 नोट कुल 4500 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री अरूण कुमार के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया।इसके पश्चात आरोपी के पेन्ट की अन्य जेबों की तलाशी उक्त गवाह से लिवायी गई तो आरोपी की पेन्ट की दांहिनी साईड की जेब में एक मोबाईल रियलमी कम्पनी का मय दो सिम, एयरटेल कंपनी नम्बर 9928884968 रिलायंस जियो कंपनी नम्बर 7976317496 व एक छोटा की–पेड मोबाइल नोकिया कम्पनी का मय सिम एयरटेल कंपनी की नम्बर 9602540968 तथा 1620/–रूपये नगद मिले। उपरोक्त नगद 1620/– रूपये के बारे में आरोपी अरूण कुमार ने उसके निजी खर्चे के होना बताया। इसके बाद आरोपी को पहने के लिए एक लोअर की व्यवस्था कर आरोपी की पहनी हुयी पेन्ट बंरग काली को उतरवाया जाकर आरोपी को पहने के लिए लोअर दिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी की पहनी पेन्ट की बांयी जेब जिसमें से रिश्वती राशि, बरामद हुई है को उलटवाकर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा डालकर सील मोहर कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् पेन्ट को सुखवाकर पेन्ट की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय कोंई वार्ता रिकॉर्ड होना नही पायी गई। इस पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि अरूण कुमार के अचानक मेरे पास आ जाने से हडबडी में टेप रिकॉर्डर को चालू नही कर पाया जिससे वार्ता रिकॉर्ड नही हुई है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में धोवन की शीशियों, पेन्ट की थैली, रिश्वती राशि आदि को सील मोहर करने में एसीबी जयपुर की पीतल की सील का प्रयोग किया गया, जिसका नमूना फर्द पर अंकित किया गया। जप्तशुदा अलामात व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया।इसके बाद आरोपी अरूण कुमार को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् जरिये तहरीर सहमति चाही तो अरूण कुमार ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इंकार किया। समय 8:20 पी.एम. पर आरोपी अरूण कुमार हाल टैक्निकल हैल्पर कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कानोता जयपुर को बाद प्रमाणित जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 में जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखे एसडी कार्ड लगे डिजिटल वॉयस रिकार्डर को परिवादी पदमचन्द व स्वंतत्र गवाहान की उपस्थिति में चालू कर आज दिनांक को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई सत्यापन वार्ता को लेपटॉप की सहायता से सुना गया व ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर दर्ज सत्यापन वार्ता जिसमें परिवादी पदमचन्द ने एक आवाज स्वयं की दूसरी आवाज आरोपी अरूण कुमार की पहचान की उक्त वार्ता की लेपटॉप की सहायता से 05 सीडी तैयार की जाकर मार्क अंकित कर सीडी मार्क A-1, A-2, A-3को सील्डमोहर किया, सीडी मार्क A-4, A-5 को खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को पृथक से सील्डमोहर कर मार्कSD दिया गयासंपूर्ण प्रक्रिया की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की।इसके बाद परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 05.11.2022 को

कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.11.2022 को मौके पर पहुंच परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिति में नक्शा मौका तैयार किया गया। परिवादी के विद्युत कनेक्शन से संबंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से स्पष्ट है किआरोपी श्री अरूण कुमार, हाल टैक्निकल हैल्पर कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कानोता जयपुर के द्वारा परिवादी श्री पदमचन्द से उसके घर के विद्युत कनेक्शन का मीटर लगाने एवं मकान के पास से जा रही बिजली की केबल में कटों पर टेप लगाने की एवज में दिनांक 04.11.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 5000/– रूपये की रिश्वत की मांग कर 4500/– रूपये रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त करने के लिए सहमत होकर, दिनांक 04.11.2022 को परिवादी पदमचंद से अपनी मांग के अनुसरण में 4500/–रूपये रिश्वत राशिप्राप्त की गई, जो उसकी पहनी हुई पेंट की जेब से बरामद हुई। जिससे श्री अरूण कुमार, हाल टैक्निकल हैल्पर कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कानोता जयपुरका उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पीसी(संशोधन) एक्ट 2018में कारित किया जाना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री अरूण कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द जाति ब्राह्मण उम्र 31 साल निवासी ग्राम पालनपुर तहसील व पुलिस थाना हिडौनसिटी जिला करौली हाल किरायेदार मकान नम्बर 137 सूर्यनगर विजयपुरा पुलिस थाना कानोता जिला जयपुर हाल टैक्निकल हैल्पर कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कानोता जयपुरके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(भंवर सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भंवर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अरूण कुमार, टेक्निकल हैल्पर, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानोता, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 435/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3775-79 दिनांक 5.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।

5/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।